अध्याय – 6

पुनरूद्धार एवं पारि विकास

राष्ट्रीय वनीकरण एवं परि-विकास बोर्ड

परिचय

राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारि–विकास बोर्ड (एनएईबी) का गठन देश में वनीकरण, वृक्षारोपण, पारिस्थितिकीय बहाली तथा पारि–विकास कार्यों का बढ़ावा देने के लिए अगस्त 1992 में किया गया था। एनएईबी द्वारा अवक्रमित वन क्षेत्रों और वन के आसपास के क्षेत्रों की भूमि, राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों और अन्य संरक्षित क्षेत्रों तथा पश्चिमी हिमालय, अरावली, पश्चिमी घाट आदि जैसे पारिस्थितिकीय भंगुर क्षेत्रों के पुनरुद्धार पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

उद्देश्य

एनएईबी के विस्तृत उद्देश्य निम्नलिखित हैंः–

– व्यवस्थित आयोजन और कार्यान्वयन के माध्यम से अवक्रमित वन क्षेत्रों और उनके आसपास की भूमियों के पारिस्थितिकीय पुररुद्धार हेतु क्रमिक रूप से लागत प्रभावी ढंग से कार्य विधि विकसित करना;

– परिस्थितिकीय सुरक्षा और ग्रामीण समुदायों की ईंधन की लकड़ी, चारा और अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए देश के वन आवरण का प्राकृतिक पुनरुद्धार करके या समुचित हस्तक्षेप द्वारा पुनः स्थापन करना।

– अवक्रमित वनों और आसपास की भूमियों पर ईंधन की लकड़ी, चारा, इमारती लकड़ी और अन्य वन उत्पादों का पुनः स्थापन ताकि इन मदों की मांग को पूरा किया जा सके;

– अवक्रमित वनों और उनके आस–पास के क्षेत्रों के पुनरुद्धार और विकास हेतु नवीन और उपयुक्त प्रौद्योगिकियों के प्रसार के लिए अनुसंधान परिणामों के अनुसंधान और विस्तार का प्रायोजन;

– स्वैच्छिक अभिकरणों, गैर सरकारी संगठनों, पंचायती राज संस्थाओं और अन्यों की सहायता से वनीकरण और पारि–विकास को बढ़ावा देने के लिए जन जागरूकता लाना तथा लोगों की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने में मदद करना और अवक्रमित वनों और उनके आस पास के क्षेत्रों के सहयोगात्मक और सतत प्रबन्धन को बढ़ावा देना;

– वृक्षारोपण, पारिस्थितिकीय बहाली और पारि–विकास हेतु कार्य योजनाओं का समन्वय और मानीटरिंग करना; और

– देश में वनीकरण, वृक्षारोपण, पारिस्थितिकीय बहाली और पारि–विकास सम्बन्धी कार्यकलापों को बढ़ावा देने हेतु अन्य सभी आवश्यक उपाय करना।

योजनाएं

एनएईबी द्वारा निम्नलिखित तीन बड़ी योजनाएं चलाई जाती हैः–

– राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एनएपी) योजना

– एनएईबी स्कीमः इस योजना के महत्वपूर्ण घटक निम्नलिखित हैं;

- हरित भारत योजना के लिए सहायता अनुदान
- मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन
- संचार
- क्षेत्रीय केन्द्रों को सहायता
- पारि विकास बल

राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एनएपी) योजना

परिचय और उद्देश्य

इस कार्यक्रम के अंतर्गत वन विकास अभिकरणों को फिजिकल तथा क्षमता निर्माण के रूप में सहायता दी जाती है। ये संयुक्त वन प्रबंधन को कार्यान्वित करने में सांस्थानिकीकरण को बढ़ाने देने वाले मुख्य अंग हैं। वन विकास एजेंसियों की वन प्रभाग स्तर पर संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को एक संघ के रूप में परिकल्पना और स्थापना की गई है, ताकि जन प्रतिभागिता से वानिकी क्षेत्र में समग्र विकास शुरू किया जा सके। यह पहले किए गए वनीकरण कार्यक्रमों से किए गए बदलाव का उदाहरण स्वरूप हैं, जब निधियां राज्य सरकार के माध्यम से दी जाती थी। विकेन्द्रित दो स्तरीय औद्योगिक ढांचे (एफडीए और जेएफएमसी) में वनों में तथा उनके आस–पास रहने वाले लोगों की जीविका और वनों के सुधार के लिए प्लानिंग और कार्यान्वयन दोनो स्तरों पर समुदाय की अधिक प्रतिभागिता की अनुमति है। गावं की आयोजना और कार्यान्वयन को एक इकाई माना गया है और कार्यक्रम के अतंर्गत सभी गतिविधियों को ग्राम स्तर पर कार्यरूप दिया गया है निचले स्तर पर क्षमता निर्माण के अलावा, द्वि–स्तरीय दृष्टिकोण के माध्यम से स्थानीय लोगों को नीति निर्णय प्रक्रिया में शामिल किए जाने से उन्हें पर्याप्त

शक्तियां प्राप्त हुई हैं। प्रविष्टि बिन्दु गतिविधियों के तहत सामुदायिक परिसम्पत्तियां ''केयर एंड शेयर'' अवधारणा के साथ सृजित की जाती हैं, स्कीम के उद्देश्य निम्नलिखित हैं।

- जनता की सक्रिय भागीदारी से प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और संरक्षण
- भूमि अवक्रमण, वननाशन और जैव–विविधता की क्षति रोकना
- पारिस्थितिकीय बहाली तथा पर्यावरणीय संरक्षण और पारि विकास
- ग्राम स्तरीय लोगों के उन संगठनों को शामिल करना जो सतत अधार पर गावों में तथा इनके आस–पास के प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन कर सकें।
- जनता की भलाई के लिए उत्पादकता, साम्यता तथा सततता के मुख्य उद्देश्यों को पूरा करना।
- वनों में तथा उनके आस–पास रहने वाले लोगों की जीविका की गुणवत्ता में सुधार करना
- ग्रामीण लोगों की रोजगारपरकता में सुधार के लिए इंडोमेंट क्षमता और कौशल में वृद्धि करना।

शुरू किए गए कार्यों की प्रगति

एफडीए तंत्र की शुरूआत 2000–01 में हुई थी, तब से कुल 12.31 तक हेक्टेयर क्षेत्र ट्रीट करने के लिए (19.11.2007 तक) 1920.69 करोड़ रूपये की लागत से 743 वन विकास एजेंसियां कार्य कर रही हैं। दसवीं योजना अवधि के दौरान एनएपी के अतंर्गत बांसरोपण, औषधीय पौधों और जैव ईंधन पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है। इस कार्यक्रम के अतंर्गत झूम खेती वाली भूमि के सुधार पर विशेष ध्यान दिया गया है। अब तक पूर्वोत्तर राज्यों तथा उड़ीसा में 25 झूम परियोजनाएं को स्वीकृत की गई है।

राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एनएपी) के कार्यक्रम के लिए वर्ष 2007–08 के दौरान 19.11.2007 की स्थिति के अनुसार 193.23 करोड़ रूपये वन विकास एजेंसियों को जारी किए गए थे।

दसवीं पंचवर्षीय योजना और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम की वर्षवार प्रगति का विवरण तालिका–12 में दिया गया है। राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम को द्विस्तरीय विकेंद्रीकृत तंत्र के माध्यम से वन विकास एजेंसी के द्वारा वन प्रभाग स्तर पर और संयुक्त प्रबंधन समिति (ऐएफएमसी) के द्वारा ग्राम स्तर पर कार्यन्वित किया जा रहा है। वन विकास एजेंसी परियोजना का राज्य ब्यौरा तालिका 13 में दर्शाया गया है।

तालिका 12. दसवीं पंचवर्षीय योजना तथा चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम की वर्ष वार प्रगति

राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम की वर्ष वार प्रगति (2002-03 तक)

वर्ष	नई अनुमोदित वनविकास एजेंसी परियोजनाओं की संख्या	शामिल सं.व.प्र.सं	अनुमोदित परियोजना क्षेत्र (हेक्टेयर)*	जारी की गई राशि (करोड़ रु.)
2002-03	237	8197	404799	151.26
2003-04	231	7902	282536	207.98
2004-05	105	3404	106743	233.00
2005-06	94	2382	54432	248.12
2006-07	15	494	6617	292.75
2007-08 (19.11.07 तक)	14	431	305344	193.23

* संशोधित क्षेत्र ** संयुक्त वन प्रबंधन समितियों की परिवर्तित संख्या

तालिका-13. वन विकास परियोजना की राज्यवार स्थिति (19-11-2007 तक)				
क्र.सं.	राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के नाम	अनुमोदित एफडीए परियोजनाओं प्रस्तावों की संख्या	परियोजना की कुल लागत (करोड़ रु.)	क्षेत्र(हे.)
1	आंध्र प्रदेश	33	90.64	50466
2	छत्तीसगढ़	32	123.31	74141
3	गुजरात	21	99.63	57260
4	हरियाणा	18	64.65	26590
5	हिमाचल प्रदेश	30	60.04	39270
6	जम्मू एवं काश्मीर	31	85.57	49649
7	कर्नाटक	45	133.62	84300
8	मध्य प्रदेश	51	127.45	93872
9	महाराष्ट	45	125.28	77175
10	उड़ीसा	41	87.22	78326
11	पंजाब	14	24.56	10585
12	राजस्थान	33	40.51	28990
13	तमिल नाडु	32	97.43	52267
14	उत्तर प्रदेश	58	131.05	92356
15	उत्तराखंड	38	70.83	55087
16	गोवा	3	2.39	1250
17	झारखंड	32	87.39	65925
18	बिहार	10	27.37	21530
19	केरल	24	53.79	22392
20	पश्चिम बंगाल	20	49.03	29141
	कुल (अन्य राज्य)	**611**	**1581.76**	**1010572**
21	अरुणाचल प्रदेश	22	30.81	23522
22	असम	30	45.51	38485
23	मणिपुर	14	46.66	30724
24	नागालैंड	18	46.97	32968
25	सिक्किम	7	45.11	20138
26	त्रिपुरा	13	29.16	25855
27	मिजोरम	21	77.74	37120
28	मेघालय	7	16.97	12155
	कुल (पूर्वोत्तर राज्य)	**132**	**338.92**	**220967**
	कुल योग	**743**	**1920.69**	**1231539**

***गणना के प्रयोजन से एफडीए में ग्यारहवीं योजना की नई परियोजनाओं को उस क्षेत्र में दसवीं परियोजना को जारी रखने के रूप में स्वीकृत किया गया, उन्हें नई अतिरिक्त परियोजना नहीं समझा गया।*

नई पहलें

मंत्रालय द्वारा योजना के शीघ्र कार्यान्वयन तथा कार्यान्वयन के पहलुओं में गुणात्मक सुधार के लिए अनेक पहलें की गई हैं। इनमें शामिल हैं:–

– विलम्ब में कमी करने के लिए भारत सरकार से एफडीए का निधियों का इलैक्ट्रानिक अन्तरण करना

– एनएपी के लिए राज्य स्तरीय समन्वय समितियों को सक्रिय बनाकर एफडीए परियोजनाओं की मॉनीटरी और मूल्यांकन में तेजी लाने के प्रयास करना और राज्यों द्वारा एफडीए परियोजनाओं का पहला स्वतंत्र

सपवर्ती मूल्यांकन करके शीघ्र स्थापित किया जा रहा है,

– अग्रणी कर्मचारियों और जेएफएम समितिके सदस्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या में वृद्धि करना।

– जेएफएम की धारणीयता बढ़ाने के लिए अन्य विकासात्मक कार्यक्रमों के साथ एनएपी के सम्पर्क को बढ़ाने हेतु जिला स्तरीय अन्तः विभागीय सम्पर्क कार्यशालाएं करना।

– वन आधारित अति लघु उद्यमों के लिए सात पाइलट परियोजनाओं की शुरूआत करना जो ग्यारहवीं योजना के दौरान जेएफएम को समेकित करने के उद्देश्य से कार्यकलापों में तीव्रता लाने के लिए अनुभव गत शिक्षण प्रदान करेंगी।

– एफडीए परियोजना प्रस्तावों की प्रोसेसिंग, जेएफएमसी और ग्राम पंचायतों के बीच आर्गेनिक सम्पर्क को बढ़ाने जेएफएमसी की अध्यक्षता अवधि बढ़ाकर जेएफएमसी के चयनित सदस्यों की सुरक्षा बढ़ाने, वन विभाग के विशिष्ट अग्रणी कर्मचारियों तथा जेएफएमसी सदस्यों, विशेषकर स्थानीय प्रबंधन और प्रशासनिक उत्तरदायित्वों के मद्देनजर उन्हें सक्षम करने के सबंध मे राज्य वन नियमों को और अधिक उत्तरदायित्व देकर विकेन्द्रिकृत करने को और बढ़ावा देने के लिए एनएपी योजना के दिशा निर्देशों में व्यापक संशोधन करने के प्रस्ताव हैं।

राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिविकास बोर्ड योजना

परिचय और उद्देश्य

– राष्ट्रीय वन नीति 1998 में यथा परिकल्पित देश के एक तिहाई भौगोलिक क्षेत्र में वन और वृक्ष आवरण में वृद्धि हो रही है जो देश की आर्थिक और पारिस्थितिकीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है। एक तिहाई वन और वृक्ष आवरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चालू वार्षिक वृक्षारोपण की दर को चार गुणा करना होगा। वृक्षारोपण में चहुं और वृद्धि पर जोर ऐसी भूमि पर देना है जो वन क्षेत्र से बाहर रिकार्ड की गई हैं। यदि पेड़–पौधे उगाने वालों की आय में बढ़ोतरी होती है तो संदर्भ वन क्षेत्र (आरएमए) से बाहर रिकार्ड की गई भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोप्त्साहित किया जा सकता है। यह मुख्यतः वृक्ष उत्पाद की कम मात्रा और घटिया गुणवत्ता के परिणामस्वरूप हुआ है जिसके प्रमुख कारण हैं कि देश में ग्रामीण क्षेत्रों में क्यूपीएम उत्पाद सुविधाओं की कमी होने और क्यूपीएम के उपयोग से होने वाले लाभ के बारे में कम जानकारी हाने के कारण पेड़ उगाने वालों की अच्छी गुणवत्ता वाले पेड़ पौधे आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाते हैं।

– इन कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय किया गया था कि मौजूदा अनुदान सहायता स्कीम का पुनर्गठन किया जाए और क्यूपीएम उत्पाद सुविधाओं के अतिरिक्त संघटकों को शामिल करते हुए और क्यूपीएम के बारे में आम नागरिकों को जानकारी हासिल करते हुए वृक्षारोपण के लिए स्वयंसेवी एजेंसियों को सहायता उपलब्ध कराई जाए। ''हरित भारत कं लिए अनुदान सहायता'' नामक पुनर्गठित स्कीम के मोटे तौर पर वृक्षारोपण के तीन पहलुओं पर बल दिया गया है, जो इस प्रकार हैः–

- क्यूपीएम और वृक्षारोपण के बारे में जन–जागृति फैलाना
- क्यूपीएम उत्पादों के लिए क्षमता में वृद्धि करना
- जन भागीदारी से वृक्ष लगाना

शुरू किए गए कार्यों में हुई प्रगति

– वित्तीय वर्ष 2007–08 (27.12.2007) के दौरान हाई–टैक नर्सरियां स्थापित करने के लिए 2 राज्यों के वन विभागों और 58 कार्यान्वयन एजेंसियों, जिनमें से 56 वृक्षारोपण संबंधी एजेंसियां हैं को 2.58 करोड़ रूपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है।

– स्वैच्छिक एजेंसी स्कीम को पिछले सहायता अनुदान के तहत वृक्षारोपण के लिए दी गई सहायता ग्रीनिंग तथा ग्रीनिंग वाली परियोजनाओं की संख्या इंडिया स्कीम के लिए मौजूदा सहायता अनुदान 27–12–07 तक निम्नप्रकार हैः

वर्ष	सहायता प्राप्त वृक्षारोपण परियोजनाओं की संख्या	व्यय (करोड़ रूपये)
2002-03	141	4.00
2003-04	251	8.49
2004-05	266	8.97
2005-06	157	10.49
2006-07	55	2.13
2007-08	58	2.58

*इसमें पूर्व वर्षों में मंजूर जारी परियोजनाएं भी शामिल हैं।
**ग्रीनिंग इंडिया स्कीम के लिए जागरुकता सृजन और हाई–टैक नर्सरी और वृक्षारोपण कार्यक्रम घटकों के लिए सहायता

– योजना की राज्यवार स्थिति तालिका 14 में दर्शाई गई है।

तालिका-14. 2007-08 वर्ष के दौरान स्कीम में हुई प्रगति

क्र. सं.	राज्य	सहायता की गई वृक्षारोपण परियोजनाओं की संख्या*	सहायता प्राप्त हाई टैक केन्द्रीय नर्सरियों/जागरुकता सृजन कार्यक्रमों की सं.	राशि (लाख रु.)
ट्री प्लांटेशन				
1	आंध्र प्रदेश	2		5.01
2	गुजरात	2		16.93
3	हिमाचल प्रदेश	2		2.5
4	जम्मू एवं काश्मीर	1		6.9
5	केरल	3		7.98
6	मध्य प्रदेश	3		12.61
7	उड़ीसा	9		55.07
8	राजस्थान	2		9.41
9	उत्तर प्रदेश	6		29.39
10	उत्तराखंड	8		33.33
11	पश्चिम बंगाल	2		8.52
	उपजोड़	**40**		**187.65**
उच्च प्रौद्योगिकी और जागरूकता				
1	गुजरात		1	8
2	कर्नाटक		1	8
	उपजोड़		**2**	**16**
	कुल योग (आरओआई)			**203.65**
उत्तर पूर्व राज्य				
ट्री प्लांटेशन				
1	अरुणाचल प्रदेश	1		3.13
2	असम	1		3.13
3	मणिपुर	11		39.55
4	नागालैंड	3		9.4
	उपजोड़ (उत्तर पूर्व)	**16**		**55.21**
	कुल जोड़ (उत्तर पूर्व))	**16**		**55.21**

* इसमें पूर्व वर्षों में स्वीकृत जारी परियोजनाएं भी शामिल हैं।
** इसमें ग्रीनिग इंडिया स्कीम के लिए जागरूकता सृजन नर्सरी और वृक्षारोपण घटकों के लिए दी गई सहायता अनुदान का व्यय भी शामिल है।

कार्यान्वयन संगठन

इस स्कीम का कार्यान्वयन सरकारी विभागों, शहरी स्थानीय निकायों, पंचायती राज संस्थाओं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों, पंजीकृत, सोसायटियों, बिना किसी लाभ के काम करने वाले संगठनों, सहकारिताओं, चेरिटेबल ट्रस्टों, स्वैच्छिक एजेंसियों, पंजीकृत विद्यालयों, कालेजों, विश्वविद्यालयों तथा राज्य वन विभागों द्वारा किया जा रहा है।

न्यूक्लियर कोर का गठन नियमित सैनिकों से किया जाता है। कुछ ईटीएफ बटालियनों ने अत्यधिक अवक्रमित स्थलों की सफल पारि–बहाली की है, मंसूरी पहाड़ियों में चूना पत्थर खनन क्षेत्र इसका एक उदाहरण है।

शुरु किए गए कार्यों की प्रगति

चार ईटीएफ बटालियनों को ईडीएफ स्कीम के अन्तर्गत सहायता दी जा रही है। ये बटालियनें पिथौरागढ़, साम्बा, बीकानेर और देहरादून में स्थित हैं। असम के लिए दो नई बटालियनों को मंजूरी दे दी गई है।

तालिका 15. ईटीएफ बटालियनों की प्रगति

बटालियन	स्थान	वर्ष के दौरान नए वृक्षारोपण (हे.)	पुराने वृक्षारोपण का वृक्षारोपण (हे.)
127	उत्तराखंड	400	1200
128	राजस्थान	600	900
129	जम्मू एवं कश्मीर	50	160
130	उत्तराखंड	500	571

पारि-विकास बल (ईडीएफ) योजना

परिचय और उद्देश्य

– रक्षा मंत्रालय के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही एक योजना के रूप में पारि–विकास बल की स्थापना 1980 में की गई थी जिसका उद्देश्य तराई क्षेत्रों का पारिस्थितिकीय पुनरुद्धार, अत्यन्त अवक्रमण अथवा दूर–दराज के स्थानों में कानून व्यवस्था का प्रबंध करना था। पारि–विकास बल की योजना दुर्गम क्षेत्रों में परिस्थितिकीय बहाली और पूर्व सैनिकों के लिए लाभप्रद रोजगार बढ़ाने के दोहरे उद्देश्यों पर आधारित है।

– इस योजना के अन्तर्गत रक्षा मंत्रालय द्वारा तैयार की गई पारि कृतिक बल बटालियनों की स्थापना और प्रचालन व्यय की प्रतिपूर्ति पर्यावरण एवम् वन मंत्रालय द्वारा की जाती है जबकि पौध, तार–बाड़, आदि और व्यावसायिक और प्रबंधकीय मार्गदर्शन राज्य वन विभागों द्वारा प्रदान किया जाता है। पारि–कृतिक बल बटालियनों में रक्षा मंत्रालय प्रचालन के क्षेत्रों के अन्दर अपने पूर्व सैनिकों की तैनाती करता है, जबकि बल के

– सभी ईटीएफ बटालियनों ने नर्सरी उगाने, पौध रोपण और पौधारोपण क्षेत्रों की सुरक्षा संबंधी कार्य किए गए हैं। इन्होंने मृदा और नमी संरक्षण उपायों के रूप में अपेक्षित स्थलों में पत्थर के बांध आदि भी निर्मित किए हैं। इसके अलावा, इन बटालियनों ने पुराने पौधारोपण का रख–रखाव भी हाथ में लिया है।

– मंत्रालय, टैरिटोरियल आर्मी और राज्य सरकार के मध्य प्रत्यक्ष प्रगति और समन्वय पर गहन मानिटरिंग करने से ही वृक्षारोपण के लिए भूमि और अन्य संसाधन समय पर उपलब्ध कराया गया। लागत में कमी लाने के लिए अधिशेष ईटीएफ कार्मिकों को पुनः तैनात किया गया और कार्य की गुणवत्ता में सुधार किया गया।

कार्यान्वयन संगठन

टैरीटोरियल आर्मी निदेशालय, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली।

नई पहलें

असम सरकार के अनुरोध पर मंत्रालय की स्थायी वित्त समिति ने राज्य में दो नई ईटीएफ बटालियनें तैयार करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। टैरिटोरियल आर्मी निदेशालय, रक्षा मंत्रालय तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भी संयुक्त रूप से ईटीएफ में लागत प्रभावी और जन भागीदारी बढ़ाने के लिए दिशनिर्देशों का प्रारूप तैयार कर रहे हैं। जैसकि ऊपर बताया गया है, राज्य वन विभागों और टीए बटालियनों के बीच आंतरिक कार्यकलाप बढ़ाने के लिए भी शुरूआत की गई है ताकि ईटीएफ बटालियनों को राज्य सरकारों द्वारा वृक्षारोपण के लिए पर्याप्त भूमि और धन निर्धारित और अंतरित किया जाना सुनिश्चित किया जा सके।

एनएईबी के स्वायत्त, सम्बद्ध तथा क्षेत्रीय कार्यालयों की सूची

परिचय एवं उद्देश्य

बोर्ड के विभिन्न विश्वविद्यालयों /राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं में स्थित सात क्षेत्रीय केन्द्र हैं। ये केन्द्र एनएईबी की रेप्लिकेबल प्रौद्योगिकी और अनुसंधान निष्कर्षों के प्रचार–प्रचार में सहायता करते हैं । ये राज्य वन विभागों को जन प्रतिभागिता के द्वारा अवक्रमित वनों और आस–पास की भूमि के सुधार के प्रभावी कार्यान्वयन तकनीकी और विस्तार संबंधी सहायता देते हैं और क्षेत्र के राज्यों तथा क्षेत्र से बाहर के राज्यों के विचारों और अनुभवों के आदान–प्रदान केलिए एक मंच के रूप में भी कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त ये केन्द्र क्षेत्र में समस्या विशिष्ट अध्ययन और एनएईबी कार्यक्रमों का मूल्यांकन करते हैं तथा एनएईबी द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं पर ध्यान केन्द्रित करने पर प्रशिक्षण कार्यक्रम और और कार्यशालाएं आयोजित करते हैं।

क्षेत्रीय केन्द्रों की नई पहलें

क्षेत्रीय केन्द्रों का कार्य संबंधी कार्यक्रम एनएपी की वित्त पोषित स्कीम से इतर संयुक्त वन प्रबंधन को बढ़ावा देने की आवश्यकता को पूर करने के लिए तैयार किया जा रहा है। नए क्षेत्रों में वन आधारित माइक्रो–उद्यमों को प्रशिक्षण, संयुक्त वन प्रबंधन समितियों–सेल्फ हेल्प ग्रुपों के विकास, सरकार की अन्य स्कीमों के साथ जेएफएम की सिनर्जी के लिए विभागीय संपर्क कार्यशालाओं का आयोजन किया जाना और टिंबर रहित वन उत्पादों के प्रबंधन के लिए संशोधित सिल्वीकल्चरल व्यवहार पर अध्ययन किया जाना शामिल है। क्षेत्रीय केन्द्रों द्वारा पूरे देश में वन आधारित अति लघु उद्यमों के लिए क्षमता निर्माण करने संबंधी सात पाइलट परियोजनाएं शुरु की गई हैं। आशा की जाती है कि इन पाइलट परियोजनाओं के अनुभवों के आधार पर वन आधारित अति लघु उद्यमों को वनों के आस–पास रहने वाले समुदायों के जीवनयापन के स्थायी साधनों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा।

मरूस्थलीकरण प्रतिरोधन के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (यूएनसीसीडी)

परिचय

यूएन कन्वेंशन का उद्देश्य मरुस्थलीकरण को रोकने संबंधी (यूएनसीसीडी) और लक्ष्य सभी स्तरों पर समर्थित प्रभावी कार्रवाई के माध्यम से मरुस्थलीकरण और भूखे की मार झेल रहे देशों मे मरुस्थलीकरण पर काबू पाना है और सूखे के प्रभाव को कम करना है। मंत्रालय में राष्ट्रीय वनीकरण और पारि–विकास बोर्ड इस कार्य को समन्वित करने के लिए प्रमुख केन्द्र है।

किए गए कार्यकलापों की प्रगति

– मरुस्थलीकरण के संकेतकों को अंतिम रुप देने तथा पूरे देश के लिए 1:500,000 के पैमाने पर इंडियन रिमोट सैंसिंग (आई आर एस) एडब्लयू आई एफएस इमेजों का प्रयोग करते हूए पूरे देश के लिए मरूस्थलीकरण भूमि गुणवत्ता अवक्रमण स्थिति स्तर नक्शे (डीएसएफ) हेतु राष्ट्रीय स्तरीय वर्गीकरण और पद्धति तैयार करने और मानकीकृत करने के लिए एक पाइलट परियोजना शुरू की गई थी। यह नक्शा भूमि की गुणवत्तों को बहाल करने और अवक्रमण को रोकने तथा आवधिक मॉनीटरिंग करने संबंधी गतिविधियों की योजना बनाने में कारगर होगा। यह नक्शा मौसम परिवर्तन के कारण होने वाले विभिन्न नृविज्ञानी प्रभावों तथा प्राकृतिक जलवायविक कारकों की मानीटरिगं के लिए उपयोग किया जा सकता है।

– भारत ने मैड्रिड, स्पेन में 3–14 सितंबर 2007 के दौरान हुई यूएनसीसीडी की कान्फ्रेंस ऑफ पार्टीज

(सीओपी) की आठवीं बैठक में भाग लिया। सीओपी ने यूएमसीसीडी की दस वर्षीय राजनीतिक योजना (2008–2018) अनुमोदित की। नई योजना में प्राथमिकताओं और रिपोर्ट करने संबंधी प्रक्रिया के संबंध में विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी समिति (सीआर आईसी) तथा ग्लोबल मैकेनिज्म के कार्यकरण की पुनःसंरचना की बात की गई है।

– स्थायी विकास संबंधी आयोजन (सीएसडी), जो कि सूखे, मरुस्थलीकरण, कृषि और ग्रामीण विकास पर अपना ध्यान केंद्रित करता है, के कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमैंट पर सोलहवें सत्र की तैयारी में भारत ने इंडोनेशिया में 20 से 28 नवंबर 2007 तका सीएसडी के लिए एशिया पैसिफिक क्षेत्र हेतु हुई रीजनल इंप्लीमेंटेशन मैकेनिज्म की बैठक में भागीदारी की। इस बैठक में एशिया पैसिफिक रीजन के लिए सामान्य रणनीति पर विचार विमर्श किया गया।

– ग्लोबल एनवोयनमेंटल फैसिलिटी कांउसिल ने अपनी नवंबर 2007 को हुई बैठक में आरएफ–4 के अंर्तगत भारत में सस्टेनेवल लैंड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के लिए कुल 30 मिलियन अमरीकी डालर को रक्षात्मक प्रोजेक्ट इन्फोर्मेशनल डाक्यूमेंट (जीआईएफ) का अनुमोदन किया।